



**कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन मन्त्री, झारखण्ड, राँची

E-mail :- addlpeefdevelopment@gmail.com, Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : ०१ / योबजट-४९वी० / २०१५— ६०७ दिनांक —०९.०५.२०१७

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला/सारण्डा वन प्रमण्डल, सारण्डा/विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमण्डल, चाईबासा/जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर/जामताड़ा वन प्रमण्डल, जामताड़ा

विषय :-

वित्तीय वर्ष २०१५-१६ से २०२१-२२ के अंतर्गत वित्तीय वर्ष २०१७-१८ में कार्यान्वयित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत वन भूमि पर वृक्षारोपण, तसर वृक्षारोपण, शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का वृक्षारोपण, गैर-वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं अवकृष्ट वन भूमि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) के लिए कुल रु० ४२.७०२ लाख (बयालीस लाख सत्तर हजार दो सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन लाइन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्थीकृत्यादेश संख्या ४/योबजट-५३/२०१५-५३/स्वी० व०५० दिनांक—०६.०१.२०१६ एवं वन विभागीय आवंटन आदेश संख्या ०४/योबजट-५३/२०१५-३४/आ० व०५० दिनांक ०६.०४.२०१७।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष २४०६-वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-०१ वानिकी, लधु शीर्ष- ७९६ जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-५८-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष २०१७-१८ में उपबंध के अंतर्गत आवंटित राशि से कुल रु० ४२.७०२ लाख (बयालीस लाख सत्तर हजार दो सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में विभाग जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601796580103	३६.१८२
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601796580323	६.५२०
कुल :-		४२.७०२

२. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-१(क) से १(ड०) पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने—अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-२(क) से २(ग) तथा ऑन लाइन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-३ पर द्रष्टव्य है।

३. इस योजना का कोड संख्या— पी० १९८२४०६०१७९६५८०१०३ लथा पी० १९८२४०६०१७९६५८०३२३ है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार सहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत सुसंगत दिशा—निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

5. बन प्रमण्डलों द्वारा “स्थल विशेष प्राक्कलन” श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर एवं कार्य दरों पर तैयार किया जायेगा तथा प्राक्कलन पर बन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 564 दिनांक 18.02.2008 के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम बन पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की जायेगी जिसका प्रमंडलवार समेकित प्रतिवेदन अपर प्रधान मुख्य बन संरक्षक विकास कार्यालय में समर्पित किया जाएगा।

नियंत्री तथा व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप ही रखा जायेगा तथा राशि का व्यय वास्तविक रूप से स्थल विशेष प्राक्कलन पर प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन तक सीमित रखा जायेगा।

6. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य बन संरक्षक, विकास होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह बन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्रक पदाधिकारियों एवं संबंधित क्षेत्रीय मुख्य बन संरक्षक / बन संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

7. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी परिस्थिति में उप आवटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथ एतद् संबंधी पत्र—परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

9. इस योजनान्तर्गत यानिकी कार्धों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय सुनिश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. रोपित पौधों / वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच / सत्यापन असम्बद्ध प्रमण्डल से कराई जायेगी। वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का ऑकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ लाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

12. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के हैंक खाते/ डाक धर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
आरखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / योबजट-49बी० / 2015-607 दिनांक- 09.05.2017

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आरखण्ड, राँची/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य समन्वयक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, आरखण्ड/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा/प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर/प्रादेशिक अंचल, दुमका/प्रादेशिक अंचल, गुमला/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
आरखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / योबजट-49बी० / 2015-607 दिनांक- 09.05.2017

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, चाईबासा/कोषागार पदाधिकारी, जमशेदपुर /कोषागार पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावा/कोषागार पदाधिकारी, जामताड़ा/कोषागार पदाधिकारी, गुमला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
आरखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / योबजट-49बी० / 2015-607 दिनांक- 09.05.2017

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित वन संरक्षक, योजना अंचल, राँची/उप वन संरक्षक, योजना, जनजातीय क्षेत्र, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
आरखण्ड, राँची

अनु०- 1(क)

वित्तीय वर्ष 2017–18 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वन मूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण” योजना (पुरानी–भू–संरक्षण एवं वनरोपण योजना) (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत वन मूमि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क. सं.	कार्यालय / प्रमण्डल का नाम	भौतिक (हेक्टर में)	राशि (रु० लाख में)		
			वित्तीय वर्ष 2017–18		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			10152.38	2182.40	12334.78
i	ii	iii	iv	v	vi
1	सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला	60.00	6.091	1.309	7.400
2	सारण्डा वन प्रमंडल, चाईबासा	40.00	4.062	0.873	4.935
	योग :-	100.00	10.153	2.182	12.335

अनु०- 1(ख)

वित्तीय वर्ष 2017–18 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वन मूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण” योजना (पुरानी–भू–संरक्षण एवं वनरोपण योजना) (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत तसर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क. सं.	कार्यालय / प्रमण्डल का नाम	भौतिक (हेक्टर में)	राशि (रु० लाख में)		
			वित्तीय वर्ष 2017–18		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			13370.98	2402.50	15773.48
i	ii	iii	iv	v	vi
1	विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमंडल, चाईबासा	50.00	6.686	1.201	7.887
	योग :-	50.00	6.686	1.201	7.887

अनु०- 1(ग)

वित्तीय वर्ष 2017–18 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वन मूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण” योजना (पुरानी–भू–संरक्षण एवं वनरोपण योजना) (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत शीघ्र बढ़नेवाले पौधों का वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क. सं.	कार्यालय / प्रमण्डल का नाम	भौतिक (हेक्टर में)	राशि (रु० लाख में)		
			वित्तीय वर्ष 2017–18		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			13370.98	2402.50	15773.48
i	ii	iii	iv	v	vi
1	जम्मौटपार तान प्रमण्डल जम्मौटपार	25.00	4.000	0.841	4.841

अनु०— १(घ)

वित्तीय वर्ष 2017–18 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण” योजना (पुरानी–भू–संरक्षण एवं वनरोपण योजना) (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत गैर–वनभूमि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र. सं.	कार्यालय/ प्रमण्डल का नाम	भौतिक (हेक्टर में)	राशि (रु० लाख में)		
			वित्तीय वर्ष 2017–18		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi
1	जामताड़ा वन प्रमंडल, जामताड़ा योग :—	40.00 40.00	10152.38 4.061	2182.40 0.873	12334.78 4.934

अनु०— १(ङ.)

वित्तीय वर्ष 2017–18 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण” योजना (पुरानी–भू–संरक्षण एवं वनरोपण योजना) (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत अवकृष्ट वनभूमि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र. सं.	कार्यालय/ प्रमण्डल का नाम	भौतिक उपलब्धि (हेक्टर में)	राशि (रु० लाख में)		
			वित्तीय वर्ष 2017–18		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi
1	गुमला वन प्रमंडल, गुमला	60.00	7163.68	961.00	8124.68
2	जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर	38.00	4.298	0.577	4.875
3	विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमंडल, चाईबासा	50.00	2.722	0.365	3.087
	योग :—	148.00	3.582	0.481	4.063
	सकल योग :—	373.00	10.602	1.423	12.025

अपर प्रधान मुख्य सचिव सुरक्षक, विकास,

बालखण्ड, राँची।


वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दरयोजना का नाम : शीघ्र बढ़ने वाले पौधे का रोपण / तसर वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हेठो : 2500 पौधे

पौधों की दूरी : 2 मी० x 2 मी०

मजदूरी दर 229.90 प्रति मानव दिवस

क्रम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० मे०)	सामग्री (रु० मे०)	कुल व्यय (रु० मे०)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A) वित्तीय वर्ष 2017-18 में सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष)							
1	एक कोडनी-निकोनी	हेठो	35.00	8046.50	0.00	8046.50	
2	सामग्री (बीज, उवंक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी० / उरिया, जैविक किटनासक आदि)	हेठो	0.00	0.00	1962.50	1962.50	
3	पौधों की सुरक्षा						
3.1	30 हेठो तक	हेठो	12.16	2795.58		2795.58	
3.2	30 हेठो से 60 हेठो तक						
4	धेरान मरम्मति	घेन	6.00	1379.40	0.00	1379.40	
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हेठो	5.00	1149.50	440.00	1589.50	
योग :-			58.16	13370.98	2402.50	15773.48	




अपर प्रब्लान सुख्य वन संरक्षक, विकास,
आरखण्ड, राज्यी

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम— भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना वन मूमि/गैर वन मूमि अंतर्गत वृक्षारोपण पौधों की संख्या प्रति हेठले : 1666
पौधों की दूरी : (3 मीटर X 2 मीटर)

मजदूरी दर 229.90 प्रति मानव दिवस

क्र०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० मे)	सामग्री (रु० मे)	कुल व्यय (रु० मे)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
(A) वित्तीय वर्ष 2017-18 में सम्पोषण कार्य (तत्त्वीय वर्ष)							
1	एक कोड़नी एवं निकौनी	हेठले	23.00	5287.70	0.00	5287.70	
2	सामग्री (उवरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	1892.40	1892.40	
3	पौधों की सुरक्षा (30 हेठले तक)	हेठले	12.16	2795.58	0.00	2795.58	
	पौधों की सुरक्षा (30 हेठले से अधिक)						
4	गड्ढा धेरान की मरम्मत	चेन	1.00	229.90	0.00	229.90	
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हेठले	3.00	689.70	290.00	979.70	
6	सिंगलिंग एवं पुनिंग	हेठले	5.00	1149.50	0.00	1149.50	
योग :-			44.16	10152.38	2182.40	12334.78	



अपर प्रधान मुख्य वन संसद्धक, विकास,
झारखण्ड, भौंवी

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : अवकृष्ट वनों का पुनर्वास योजना

पौधों की संख्या प्रति हेक्टेक्टर : 1000 पौधे

मजदूरी दर 229.90 प्रति मानव दिवस

स्पेसिंग 3 मी. x 3 मी. अथवा 2 मी. x 2 मी. अथवा 3 मी. x 2 मी. (रिक्त स्थान की उपलब्धता अनुसार)

क्रम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु0 में)	सामग्री (रु0 में)	कुल व्यय (रु0 में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A) वित्तीय वर्ष 2017-18 में सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष)							
1	एक कोड़नी-निकौनी	हेक्टेक्टर	14.00	3218.60	0.00	3218.60	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/ उरिया, जैविक किटनासक आदि)	हेक्टेक्टर	0.00	0.00	785.00	785.00	
3	पौधों की सुरक्षा (30 हेक्टेक्टर)	हेक्टेक्टर	9.16	2105.88		2105.88	
	पौधों की सुरक्षा (30 हेक्टेक्टर से अधिक)						
4	घेरान मरम्मति	हेक्टेक्टर	6.00	1379.40	0.00	1379.40	
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हेक्टेक्टर	2.00	459.80	176.00	635.80	
योग :-			31.16	7163.68	961.00	8124.68	

अपर प्रधान वित्तीय वर्ष सचिव, विकास,
झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

सारखड सरकार

लाल विधीय वर्ष 2017-18 में द्वाये हुए नियमित दर्शन एवं कठट शीर्ष के सम्मत भौतिक गति आवंटन की जाती है।

पर्व संख्या - 01/YB-49b/15/607

दिनांक -

09-May-2

संबंध	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं दम्पन पदा.	आवंटन राशि
1	S 19 240601796580103 2406 - बानिकी नथा बन्द प्राणी 01 - बानिकी 796 - जनजातीय लोक उपयोगना 58 - अधिसूचित बन भूमि एवं वृक्षान्पण एवं भू-प्रबंधन 01 - वेतन एवं भूमि 03 - प्रदूर्धी	29283	SKLFOR001 A EKKA D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	609,100.00
<hr/>				
<hr/>				
2	S 19 240601796580103 2406 - कानिकी नथा बन्द प्राणी 01 - बानिकी 796 - जनजातीय लोक उपयोगना 58 - अधिसूचित बन भूमि एवं वृक्षान्पण एवं भू-प्रबंधन 01 - वेतन एवं भूमि 03 - प्रदूर्धी	29285	SGHFOR011 SRI.SATISH CHANDRA RAI D.F.O.SARANDA FOREST DIV.IFS	406,200.00
<hr/>				
3	S 19 240601796580103 2406 - बानिकी नथा बन्द प्राणी 01 - बानिकी 796 - जनजातीय लोक उपयोगना 58 - अधिसूचित बन भूमि एवं वृक्षान्पण एवं भू-प्रबंधन 01 - वेतन एवं भूमि 03 - प्रदूर्धी	29286	SGHFOR012 SRI ANIL KUMAR SHRIVASTAWA D.F.O. W.F. PRO.DIV.CBSA,	1,026,800.00
<hr/>				
<hr/>				
राशि:				2,042,100.00
क्रमिक संग्रह:	रुपये बील लाल चयालीस हजार एक से			

GIANI SATNAM SINGH

प्रभाग -

01/YB-49b/15/607

दिनांक -

09-May-2

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	लिकासी एवं अधिकार पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601796580103 2406 - बालिकी नदा बन्य शारी 01 - बालिकी 796 - बनजारीय थेट उपर्योगना 58 - अधिकृतिव बन भूमि एवं वृक्षान्वयण एवं भू-संरक्षण 01 - बेतन गाँव फले 03 - मजदूरी	29290	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	740,200.00 रुपये सात लाख बालीस इनार दो रुपये
5	State Scheme : Central Scheme :	29291	JMTFOR001 RAJ KUMAR SAH D.F.O. JAMTARA	406,100.00 रुपये चार लाख छ इनार एक रुपये
6	State Scheme : Central Scheme :	29293	GMLFOR001 AJIT KUMAR SINGH D.F.O. GUMLA	429,800.00 रुपये चार लाख उनीस इनार आठ रुपये
योग				1,576,100.00
अन्यिक योग:	रुपये छहलीस लाख अठारह इनार दो रुपये			3,618,200.00

(SHRI SATNAM SINGH)

क्रमांक	विषय कोड	एकलेस नं	निकासी एवं व्यवहन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601796580323 2406 - बालिकी नथा बन्द प्राणी 01 - बालिकी 796 - जनजातीय भेत्र उपयोगिता 58 - अधिसूचित वन भूमि पर कुशाग्रीपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यव्यय 23 - आपूर्ति एवं खामी	29297	SKLFOR001 A EKKA D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	130,900.00 
	State Scheme : Central Scheme :			
8	S 19 240601796580323 2406 - बालिकी नथा बन्द प्राणी 01 - बालिकी 796 - जनजातीय भेत्र उपयोगिता 58 - अधिसूचित वन भूमि पर कुशाग्रीपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यव्यय 23 - आपूर्ति एवं खामी	29299	SGHFOR011 SRI.SATISH CHANDRA RAI D.F.O.SARANDA FOREST DIV.IFS	87,300.00 
	State Scheme : Central Scheme :			
9	S 19 240601796580323 2406 - बालिकी नथा बन्द प्राणी 01 - बालिकी 796 - जनजातीय भेत्र उपयोगिता 58 - अधिसूचित वन भूमि पर कुशाग्रीपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यव्यय 23 - आपूर्ति एवं खामी	29300	SGHFOR012 SRI ANIL KUMAR SHRIVASTAVA D.F.O. W.F. PRO.DIV.CBSA.	166,200.00 
	State Scheme : Central Scheme :			
	योग			386,400.00
	कार्यालयिक खाता			4,004,600.00

कर्पोरेट चार्टर साइंच यार हजार ५० रुपये



ISHER SINGH

पर्याय -

01/YB-498/15/607

दिनांक -

09-May-2

क्रमांक	विपर कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं स्थबन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - ब्रह्मांतीय क्षेत्र उपर्योगना 58 - अधिकृति वन भूमि पर वृक्षान्वयण 1/वं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यव 23 - आपूर्ति एवं समर्पणी	29302	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	120,600.00
11	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - ब्रह्मांतीय क्षेत्र उपर्योगना 58 - अधिकृति वन भूमि पर वृक्षान्वयण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यव 23 - आपूर्ति एवं समर्पणी	29305	JMTFOR001 RAJ KUMAR SAH D.F.O. JAMTARA	87,300.00
12	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - ब्रह्मांतीय क्षेत्र उपर्योगना 58 - अधिकृति वन भूमि पर वृक्षान्वयण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यव 23 - आपूर्ति एवं समर्पणी	29307	GMLFOR001 AJIT KUMAR SINGH D.F.O. GUMLA	57,700.00
कोगः				
क्रमिक गोगः				

रुपये दसलोस लाख सत्तर हजार दो शेरी

265,600.00

4,270,200.00

(अट्टा SATNAM SINGH)